के-15016/107/2015-एससी-। (भाग ॥)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

स्मार्ट सिटीज मिशन

निर्माण भवन

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 2015

## कार्यालय ज्ञापन

**विषयः शौचालयों के प्राप्तांक और जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं रहित शहरों के संबंध में स्पष्टीकरण - तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने निदेश हुआ है कि तमिलनाडु शहरी वित्त और अवसंरचना विकास निगम (टीयूएफआईडीसीओ) ने तारीख 3 जुलाई, 2015 के अपने ई-मेल के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरणों की मांग की है। उठाये गए मुद्दे और स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

| क्र.सं. | मांगा गया स्पष्टीकरण | मार्गनिर्देशों में मद | एमओयूडी द्वारा स्पष्टीकरण |
|---|---|---|---|
| 1. | तमिलनाडु में, उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया है और किया जा रहा है। परंतु अधिकतर स्थानीय निकायों को एसबीएम के तहत स्वीकृत नहीं किया गया है। क्या तमिलनाडु स्कोर कार्ड में अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए इन आंकडों का प्रयोग कर सकता है। | जनगणना 2011 या स्वच्छ भारत बेसलाइन के मुकाबले घरेलू स्वच्छ शौचालयों की संख्या में वृद्धि (जो भी कम हो)।<br><br>(संदर्भः भाग 1; फॉर्म 2' अनुबंध 3 तथा क्र.सं. 1; भाग 2, फॉर्म 1; अनुबंध 3) | सभी कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (क्रम संख्या 1) शहर के स्कोर कार्ड में शामिल किया जा सकता है। |
| 2. | मूल्यांकन एजेंसी एनआईयूए की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जेएनएनयूआरएम सुधार पर लिए हैं। परंतु, कुछ शहरों में, | राज्य स्तर पर किए गए जेएनएनयूआरएम सुधारों का प्रतिशत। (संदर्भ: मार्गनिर्देशों | जहां जेएनएनयूआरएम की किसी परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।<br>क्या वे एनआईयूए के स्कोर का प्रयोग इन शहरों के लिए भी कर सकते हैं। | का अनुबंध 3 प्रपत्र 1 मद संख्या 12) | हो, (क) "राज्य स्तर पर किए गए सुधारों के प्रतिशत" के लिए स्कोर (10); और (ख) मार्च 2012, तक स्वीकृत परियोजनाओं के समापन के प्रतिशत के लिए स्कोर (10) की गणना नहीं की जा सकती है और प्राप्तांक प्रतिशत गणना 100 की बजाय अधिकतम 80 अंको पर की जा सकती है। |
| 3. | उन्होंने जेएनएनयूआरएम यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं को अधिक संख्या में पूरा कर लिया है। परंतु, कुछ शहरों में, जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया है।<br><br>क्या वे स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देते समय अंको के लिए इन शहरों हेतु राज्य स्तरीय निष्पादन का प्रयोग कर सकते हैं या संपूर्ण अंक दे सकते हैं। | जेएनएनयूआरएम के तहत मार्च, 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा होने का प्रतिशत।<br><br>(संदर्भः मार्गनिर्देशों का अनुबंध 3 प्रपत्र 1 मद संख्या 13) | |

14.7.2017

(प्रदीप कुमार सिंह)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष सं.: 011-23062951

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रमुख सचिव (शहरी विकास)

[संलग्न सूची अनुसार]